प्रेस नोट थाना बांसगांव दिनांक 26.10.2020

एक अदद लूट के डिजिटल कैमरे व 1500/-रुपये के साथ तीन अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण(दक्षिणी) के पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी बांसगांव के निकट मार्गदर्शन में मै थानाध्यक्ष जगत नरायण सिंह मय हमराह कर्मचारीयो के रात्रिगस्त तलाश वांछित वारण्टी व संदिग्ध व्यक्तियो वाहनो की चेकिंग करता हुआ क्षेत्र मे मामूर था कि जरिए मुखबीर खास सूचना मिली कि लूट वाले मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्तगण कही भागने के फिराक मे बेलूडीहा नहर वाली पुलिया पर है । यदि जल्दी किया जाए तो पकडे जा सकते है । मुखवीर खास की सूचना पर विश्वास कर मै थानाध्यक्ष मय हमराह उ0नि0 सत्यदेव हे0का0 मनीष सिंह का0 रामअवध यादव का0 संजय यादव का0 पिन्टू प्रसाद का0 विकाश यादव व का0 अभिषेक सिंह व मुखबीर खास को साथ लेकर बाउम्मीद गिरफ्तारी अभियुक्तगणो के, मुखबीर खास द्वारा बताए गये स्थान के तरफ बढे की बेलूडीहा नहर पुलिया से थोडा पहले ही दबे पाव छुप छुपाकर पुलिया पर खडे अभियुक्तगणो को गिरफ्तार करने हेतु आगे बढा था कि नजदीक पहुचते ही हम पुलिस वालो को देखकर तीनो अभियुक्तगण पुलिया के उत्तर तरफ नहर के पूरब वाली पटरी पर उत्तर तरफ भागे की हम पुलिस वालो ने दौडाकर करीब 40-50 मीटर जाते जाते एकबारगी दबीश देकर हिकमत अमली से घेर घार कर तीनो को पकड लिया गया । पकडे गये व्यक्तियो से नाम पता पुछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो अपना नाम क्रमशः 1-सत्यपाल यादव पुत्र संजय यादव उपरोक्त बताया जिसकी जामा तलाशी लेने पर दाहिने हाथ मे काला रंग का बैग मिला जिसके सम्बन्ध मे पुछने पर बताया कि राहुल से लूटा हुआ कैमरा है बैग खोलकर देखा गया तो काले रंग का डिजिटल कैमरा Nikon कम्पनी जिसका Model D5600 तथा MADE IN THAILAND 8688136,N1538 लिखा है । तथा सफेद रंग के रंग से R,Y. लिखा है । दुसरे व्यक्ति ने अपना नाम 2-अखिलेश यादव उपरोक्त बताया जिसकी जामा तलाशी ली गयी तो पहनी पैन्ट की दाहिने जेब से 500-500 को दो नोट कुल 1000 रुपये बरादम हुए । जिसके सम्बन्ध मे पुछने पर बताया कि लूट वाले है । तीसरे ने अपना नाम 3- विरेन्द्र यादव उपरोक्त बताया । जिसकी जामा तलाशी मे पहने हुए पैन्ट की दाहिने जेब से 500 रुपये का एक नोट कुल 500 रुपये बरामद हुए जिसके सम्बन्ध मे पुछने पर बताये कि लूट के पैसे है । तीनो अभियुक्तगणो से पुछ ताछ किया गया तो बताए कि साहब हम तीनो लोगो ने प्लान बनाकर दिनांक 24.10.2020 को शाम को राहुल यादव को बुलाकर उसका कैमरा व 1500 रुपये लूट लिये थे । जिसको हम लोग कही ले जाकर बेचकर पैसा आपस मे बाट लेते । उससे पहले ही आप लोगो ने आज पकड लिया । मौके पर ही वादी मुकदमा को जरिए दुरभाष बुलाया गया तो वही मौके पर उपस्थित आये तथा कैमरे को पहचानते हुए बताये कि हां साहब यही मेरा कैमरा है जिसको इन्ही तीनो लोगो ने लूट लिया था । तथा 1500 रुपये भी लूट लिए थे । दो को मै पहचानता हूँ तथा यह तीसरा लडका वही है इनके साथ उस दिन मेरा कैमरा लूटा था । इस तरह वादी मुकदमा ने अज्ञात व्यक्ति (विरेन्द्र यादव) की तरफ इशारा करके बताया । इस तरह अज्ञात अभियुक्त विरेन्द्र यादव पुत्र रामानन्द यादव उम्र 20 वर्ष निवासी बहुरीपार थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर का नाम प्रकाश मे लाते हुए बरामदगी के आधार पर मु0 उपरोक्त मे धारा 411 IPC की बढोत्तरी की जाती है । अभियुक्तगणो को उनके जुर्म से अवगत कराकर कारण गिरफ्तारी बताते हुए व माननीय उच्चतम न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशो निर्देशो का अक्षरशः पालन करते हुए समय 04.40 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया ।

पंजीकृत किये गये अभियोग का विवरण-

1-मु0अ0सं0 675/2020 धारा 394/411 भादवि थाना बांसगांव गोरखपुर

नाम पता अभियुक्तगण-

1-सत्यपाल यादव पुत्र संजय यादव उम्र 22 वर्ष निवासी बहुरीपार थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर

2-अखिलेश यादव पुत्र श्रीनाथ यादव उम्र 21 वर्ष निवासी बहुरीपार थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर

3- विरेन्द्र यादव पुत्र रामानन्द यादव उम्र 20 वर्ष निवासी बहुरीपार थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का समय व स्थान-

दिनांक 26.10.2020 समय 04.40 बजे गिरफ्तारी का स्थान – बहुरीपार पुलिया 16 किमी पश्चिम

बरामदगी-

एक अदद लूट का डिजिटल कैमरा व 1500/-रुपया ।

गिरफ्तारी में शामिल टीम-

1-थानाध्यक्ष श्री जगतनारायण सिंह

2-उ0नि0 सत्यदेव

3-हे0का0 मनीष सिंह

4-आरक्षी रामअवध यादव

5-आरक्षी संजय यादव

6-आरक्षी पिन्टू प्रसाद

7-आरक्षी विकाश यादव

8-आरक्षी अभिषेक सिह